रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937
No. 274] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

संख्या यू-23013/13/2014-एल डब्ल्यू (.).-इस मंत्रालय के दिनांक 10 जुलाई, 2014 के संकल्प संख्या यू-23013/13/2014-एलडब्ल्यू के अधिक्रमण में तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन करता है।

2. इस समिति का संघटन तथा विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

(i) श्री आलोक कुमार, —सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य),
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली।

(ii) श्री राज बिहारी शर्मा, —सदस्य
भारतीय मजदूर संघ, (बीएमएस), 42, पटेल कॉलोनी,
सरदार पटेल मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर – 302001

(iii) उप केन्द्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली। —सदस्य- संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

"निम्नवत स्थापनाओं की निम्नवत नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली की कार्यपद्धति का अध्ययन करना:—

(i) मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण टर्मिनल-2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली मुख्य नियोक्ता की स्थापना में कन्वेयर बेल्ट प्रणाली अर्थात् पर्यवेक्षकों, मेकेनिकों, इलेक्ट्रिशियनों तथा खलासियों का संचालन तथा रख-रखाव।

(ii) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस की स्थापनाओं में सफाई कर्मचारियों का रख-रखाव।

(iii) कार्गो परिसर (आयात/निर्यात) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली, आईजीआई हवाई अड्डा, टर्मिनल-2 की स्थापनाओं में सिविल रख-रखाव (प्लंबर, कारपेंटर, मिस्त्री, नाला सफाईकर्मी, हेल्पर तथा पर्यवेक्षक)।

(iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना में सिविल रख-रखाव अर्थात् वायरमैन, मेकेनिक, अग्निशमन पम्प संचालक तथा हेल्पर।

(v) इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापनाओं में कार्गो हेंडलिंग अर्थात् एसी प्लांट संचालन तथा आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना में प्लंबर, मिस्त्री, पेंटर, कारपेंटर, फोरमैंन तथा हेल्पर

तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों में उपरोक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषेध करने या नहीं करने की उपयुक्त सिफारिश करना।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, और निवेदन यदि कोई हो प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें तथा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करें।

ए. के. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October , 2015

No. U-23013/13/2014-L.W. (.).— In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/13/2014-LW dated 10th July, 2014 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

(i)	Shri Alok Kumar, Executive Director, Civil Engineering, (General) Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.	-Member
(ii)	Shri Raj Bihari Sharma, Bhartiya Mazdoor Sangh, (BMS), 42, Patel Colony, Sardar Patel Marg, "C" Scheme, Jaipur – 302001	-Member
(iii)	Dy. CLC(Central), New Delhi	-Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study the working of contract labour system in the following jobs/works of the following establishments: —

(i) Operation and maintenance of conveyer belt system i.e. Supervisors, Mechanics, electricians and Khalasies in the establishment of the Principal employer M/s. Airport Authority of India, at Terminal-2, Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

(ii) Maintenance of Sweepers in the establishments of Indian Airlines at Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

(iii) Civil maintenance (plumber, carpenter, mason, sewer man, helper & supervisor) in the establishments of Cargo complex (export/import), IGI Airport, Terminal II, Airport Authority of India, New Delhi.

(iv) Civil maintenance i.e. Wireman, Mechanic, Fire Fighting Pump Operator and helper in the establishment of Airport Authority of India.

(v) Cargo handling i.e. A.C plant operations in the establishment of Airport Authority of India at Indira Gandhi International Airport, New Delhi and Plumber, Mason, Painter, Carpenter, Forman and Helper in the establishment of Indian Airlines, IGI Airport, New Delhi.

and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A. K. SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.